सत्यमेव जयते

खंड ९ संख्या २१

# बिहार विधान सभा वादवृत्त

## सरकारी रिपोर्ट

मंगलवार, तिथि ६ मार्च, १९५६।

**Vol. IX** **No. 21**

# The Bihar Legislative Assembly Debates

## Official Report

*Tuesday, the 6th March, 1956.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार,
पटना, द्वारा मुद्रित,
१९५६।

[मूल्य—६ आना।]

*[Price—6 Annas.]*

श्री दुर्गा मंडल—जो १० योजनाएं मंजूरी के लिये विचाराधीन हैं वे कौन-कौन-सी योजनाएं हैं ?

श्री बीर चन्द पटेल—उनके नाम हैं : धमनिया, सरवान, टेंधाड़ा, चौकिया, शारदा, धोलाजोर, रक्षी, मिर्चा, नीभनवादा, केरवार, देवदाघाट, वेला वयाम और वतिया। इनमें से पहले तीन योजनाएं मंजूर हो चुकी हैं।

श्री दुर्गा मंडल—इन योजनाओं की मंजूरी कब तक सरकर की ओर से मिल जायेगी ?

श्री वीर चन्द पटेल—सरकार तो यह चाहती है कि २४ घंटों के अन्दर मंजूरी मिल जाय। लेकिन जब उसका इंजीनियरिंग विभाग उनका दोबारा जांच-पड़ताल करना चाहती है तब देरी होती है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जितना जल्द हो सकेगा, सरकार इन स्कीमों को मंजूर करने का प्रबन्ध करेगी।

बलियापुर में कृषि प्रक्षेत्र।

*५४४। †श्री राम नारायण शर्मा—क्या मंत्री, विकास (कृषि) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सरकार कृषि प्रक्षेत्र (ऐग्रीकल्चरल फार्म ) के लिए बलियापुर (मानभूमि) में ० एकड़ जमीन लेने जा रही है ;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन बहियार है, और ४० छोटे-छोटे किसानों की है, जिनके पास आजीविका के दूसरे साधन नहीं के बराबर हैं ;

(३) क्या यह बात सही है कि उन खेतिहरों ने धनबाद के ए० डी० सी० के पास सम्मिलित आवेदन-पत्र दिया है कि उक्त जमीन को छोड़ अन्य जमीन ली जाय ;

(४) अगर उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इस दिशा में क्या कर रही है ?

श्री बीर चन्द पटेल—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) लैंड एक्वीजीशन पदाधिकारी अभी इस बात पर जांच कर रहे हैं।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(४) आपत्ति का आवेदन-पत्र विज्ञप्ति के बाद आया और इस संबंध में लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट १८९४ का सेक्शन १७(४) लागू है।

श्री शरत दास—मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जिन जमीनों की सरकार एक्वायर कराना चाहती है उसका साइटें वगैरह का ब्योरा सरकार के पास है या नहीं।

†प्रश्नकर्त्ता की अनुपस्थिति में श्री शरत् दास के अनुरोध पर उत्तर दिया गया।

श्री वीर चन्द पटेल—उसका ब्यौरा सरकार के पास नहीं है।

श्री टीका राम मांझी—मैं सरकार से पूछता हूं कि जो जमीन सरकार एक्वायर करना चाहती है अभी तक क्या यह निश्चय नहीं किया है कि कहां एक्वायर करेगी?

अध्यक्ष—सरकार का जवाब हो चुका है। आपका कहने का मतलब क्या है? क्या आप यह पूछना चाहते हैं कि सरकार जमीन के बदले जमीन देना चाहती है या नहीं?

श्री वीर चन्द पटेल—जमीन के बदले जमीन देने का सवाल नहीं है। उनके सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं।

---

MANAGEMENT OF ELECTRIC AND COURTYARD IN QUARTERS.

*724. **Shri RAMANAND TIWARI** : Will the Minister for Local Self-Government Department be pleased to state—

(1) whether it is a fact that there are khalasi barracks near the High Court Water Tower for the people working under the Patna Water Board under the Health Engineering Department;

(2) whether it is a fact that there is no electric light provided in those quarters;

(3) whether it is a fact that those quarters require some improvement, such as, addition of courtyard and water tap;

(4) if the answers to clauses (1) to (3) be in the affirmative, do Government consider the desirability of giving electric connection and addition of courtyard and water tap to those quarters, if not, why?

श्री भोला पासवान—(१) पटना वाटर बोर्ड के कर्मचारियों के लिए १६ सेट खलासी क्वार्टर हैं।

(२) ६० वोल्ट के बल्ब के दो सामुदायिक बत्तियां हैं। दो और सामुदायिक बत्तियों का प्रबन्ध इस महीने में करने का विचार किया जा रहा है।

(३) आंगन बनाने के लिए जमीन नहीं है। दो सामुदायिक पानी कल का प्रबन्ध पहले ही से है। गृह-योजना के अंतर्गत और घर बनाने की योजना विचाराधीन है।

(४) यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रामानन्द तिवारी—क्या सरकार यह बतायगी कि जो क्वार्टर अलग-अलग हैं और जिसमें चपरासी रहते हैं उनमें सरकार बिजली देने का प्रबन्ध करायगी या नहीं?